(21)
406

कार्यालय प्रमुख अभियंता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग

27-28 निर्माण भवन , प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश

Website : www.mp.gov.in/pwdmp Email : pwdbhop@mp.nic.in

phone – 0755-2551485, Fax – 2556527

क्रमांक / संचार / सर्कुलर / लोनिवि / 2015 / 3937 भोपाल,दिनांक 13 / 10 / 2015

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
सेतु परिक्षेत्र भोपाल मध्यप्रदेश।

विषयः– पुलों का नियमित निरीक्षण करने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि वृहद पुलों के नियमित निरीक्षण कर उनके संबंध में वार्षिक/ अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पुलों के उचित रख–रखाव के संबंध में प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति भी प्राप्त की जानी चाहिये। हाल ही में कुछ ऐसी घटनायें घटित हुई हैं जिससे कि यह धारणा बनती है कि आपके परिक्षेत्र के द्वारा पुलों के नियमित निरीक्षण नही किये जाते हैं। जिसके कारण समय पर पुलों के उचित रखरखाव के अभाव में पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण दिनांक 13-10-2015 को भोपाल के एक आर ओ बी के फुटपाथ क्षतिग्रस्त होने के कारण घटना घटित हुई है।

विभाग में एक मोबाईल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट उपलब्ध है। इसके पूर्व भी आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि इस यूनिट का उपयोग कर प्रदेश के सभी पुलों का निरीक्षण कर लिया जाये ताकि यदि उनमें कोई क्षति परिलक्षित होती है तो उसका त्वरित सुधार करवाया जा सके। किंतु इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाई नहीं हुई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी 7 दिवस के अंदर पुलों के निरीक्षण हेतु एक कार्यक्रम तैयार कर सभी पुलों का सूक्ष्म परीक्षण 3 माह की समयावधि में इस इंस्पेक्शन यूनिट से करवा लिया जाये। जो पुल क्षतिग्रस्त हैं उनका निरीक्षण प्राथमिकता पर कर लिया जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन पुलों का निरीक्षण बिना इंस्पेक्शन यूनिट के किया जा सकता है उनका भी निरीक्षण करवा लिया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / संचार / सर्कुलर / लोनिवि / 2015 / 3938 भोपाल,दिनांक 13 / 10 / 2015

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री सेतु मण्डल भोपाल/ जबलपुर/ ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग................. मध्यप्रदेश।
5. अधीक्षण यंत्री, आई टी सेल, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोनिवि भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देश को वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. वरिष्ठ निज सहायक, कार्यालय प्रमुख अभिंयता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश